तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/11/22	पत्रावली पेश हुई । वकील पक्षकारान उपस्थित है। पूर्व आदेश की पालना मे *अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक* 20.2.23 को पेश हो ।	
20.2.23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषकगणों द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा । पत्रावली वास्ते साक्ष्य कार्यवाही दिनांक 10.7.23 को पेश हो।	
10.7.23	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप० है बहस प्रा०पत्र T.I. हेतु अवसर चाहा । पूर्व मे कई अवसर दिये जा चुके है अन्तिमतम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 25-7-23 को पेश हो।	
25.7.23	पत्रावली पेश हुई । वकील पक्षकारान उपस्थित है। पूर्व आदेश की पालना मे *अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक* 10.10.23 को पेश हो ।	
10/10/23	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप० है। बहस प्रा०पत्र T.I. सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 20/10/23 को पेश हो।	
20/10/23	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उपस्थित है। बहस [illegible] वकील वादी ने अपने [illegible] वर्णित तथ्यों को [illegible] अस्थायी निषेधाज्ञा [illegible] जाने हेतु निवेदन किया। वकील वादी ने निवेदन	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.11.08 16:12:53 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर व तारीख अहकाम व हुक्म की हुक्म में जारी	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कि खसरा संख्या 3641 के बजाय प्रार्थीगण को ख-सं. 5202 की 5 बीघा भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने चाहिए थे, क्योंकि आवंटन की तारीख से ही इस 5 बीघा भूमि पर काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। यह कि प्रत्यार्थी प्रार्थीगण को हर वर्ष धारा 91 का नोटिस देते हैं एवं पेनल्टी लगाते हैं, एवं बेदखल करने की धमकियां देते हैं। अत: प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाये।	
	हमने प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज आदि का अवलोकन किया। प्रथम दृष्टया केस में प्रार्थी सिवायचक भूमि पर काबिज होना स्वीकार करता है, इसलिए सिवायचक भूमि पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायालय उचित नहीं समझता है। विवादित आराजी सिवायचक होने के कारण सुविधा सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है। अत: न्यायालय उक्त विवेचन के आधार पर ... प्रार्थना पर अस्वीकार किया जाना उचित समझता है। ... प्रार्थी ... का प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील मूलवाद के साथ संलग्न रहे।	

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.11.08 16:12:53 IST
Reason: SelfAttested